



2026:AHC:51266

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 2607 वर्ष 2026

भूपेंद्र

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अतिप्रिय गौतम, मोहम्मद फहद, वरिष्ठ अधिवक्ता,
विनोद

कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता सुश्री आर्या गौतम (रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता) की ओर से उपस्थित श्री नवनीत यादव ने की तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने 23.02.2026 को रिट याचिका को स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों के तहत दिनांक 05.03.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
3. श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उनके पास निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं; साथ ही, वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 06.01.2022 को प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैंडर में सहायक ऑपरेटर पद पर चयन और नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जो यूपी. पुलिस रेडियो कैंडर सहायक ऑपरेटर नियम, 2022 के अंतर्गत था, रिट याचिकाकर्ता ने इसके अनुसार आवेदन किया, वह लिखित परीक्षा में दिनांक 07.08.2024 को योग्य घोषित किया गया, और इसके उपरांत दिनांक 01.02.2025 को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में उपस्थित होने की अनुमति दी गई, उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 08.03.2025 को उत्तीर्ण की, इसके बाद अंतिम मेरिट सूची दिनांक 26.03.2025 को प्रकाशित की गई, जिसमें ओबीसी पुरुष वर्ग के अंतर्गत अंतिम कट-ऑफ मेरिट 363.28735 अंक थी, और याचिकाकर्ता ने 370 अंक प्राप्त किए। अतः रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि यद्यपि उसने ओबीसी पुरुष वर्ग के अंतर्गत सहायक रेडियो ऑपरेटर पद के लिए उच्च अंक प्राप्त किए, फिर भी उसे चयनित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना गया। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 24.02.2025, 25.02.2025, और 26.02.2025 को नोटिस जारी किए गए, जिसमें आरोप लगाया गया कि रिट याचिकाकर्ता ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात, रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 17090/2025 दायर की, जिसमें दिनांक 04.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ केसरवानी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 15.11.2025 को स्थायी अधिवक्ता से निर्देश मांगे थे, जो आज अपर सचिव (भर्ती), उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के हस्ताक्षर से दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अभिलेख पर लिया गया है।
3. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यूपी. पुलिस रेडियो कैंडर असिस्टेंट ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022 (दिनांक 06.01.2022) के विज्ञापन के अनुसार, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के पद के लिए ओबीसी (पुरुष) श्रेणी में उसने अधिक अंक प्राप्त किए थे; लेकिन 160 प्रश्नों में से 148 प्रश्नों के उत्तर देने के बावजूद, उसे चयनित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने अनुचित प्रथा का पालन किया, जिसके कारण दिनांक 24.02.2025, 25.02.2025

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और 26.02.2025 को नोटिस जारी किए गए, परंतु रिट याचिकाकर्ता द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5. ऐसी प्रस्तुति पर, रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पेपर बुक के अनुच्छेद संख्या 32 की ओर आकृष्ट किया और कहा कि दिनांक 24.02.2025 को रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या-2 के कार्यालय में उपस्थित हुआ और अपने दस्तावेज़ अधिकारी के

समक्ष प्रस्तुत किए, दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात अधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता को जाने दिया, और उसके बाद उसे कोई और नोटिस नहीं दिया गया।

6. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, रिट याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष उपस्थित हो, जो कि दिनांक 18.12.2025 तक, दिनांक 24.02.2025, 25.02.2025 और 26.02.2025 के नोटिस रिट याचिकाकर्ता को जारी करेगा। इसके पश्चात रिट याचिकाकर्ता अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा और प्रतिवादी संख्या-2 इसके आधार पर दो माह की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लेगा।

5. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 05.02.2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपर सचिव (भर्ती) के हस्ताक्षर से रिट याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता से 24.02.2025 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी; तत्पश्चात, 19.02.2025 को रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 04.02.2025 के नोटिस की एक प्रति तामील कराई गई और रिट याचिकाकर्ता ने 21.12.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया तथापि, द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 08.01.2026 को पारित आदेश के आधार पर, कारण बताओ नोटिस के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है।

6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. इस न्यायालय ने 23.02.2026 को रिट याचिका को स्वीकार किया और साथ ही निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

"1. रिट याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 04.12.2025 के आदेश के पारित होने के पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 05.02.2025 का नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.12.2025 को प्रस्तुत किया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर कोई विचार नहीं किया गया, और विवादास्पद आदेश का एक बड़ा भाग उन तथ्यों का उल्लेख करता है, जो ऐसे इनपुट पर आधारित हैं जो कभी रिट याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए।

2. श्री गौरव सिंह विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया।

3. इस प्रकरण को ताजा स्थिति में दिनांक 12.03.2026 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।"

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश को इस साधारण से कारण से भी कायम नहीं रखा जा सकता कि, यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने 21.12.2025 को नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन शो-काँज़ नोटिस के जवाब में रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया और उन सभी को एक ही कलम से असंतोषजनक करार दे दिया गया। उनका यह भी कहना है कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट किसी भी समय रिट याचिकाकर्ता को नहीं दी गई अतः, रिट याचिकाकर्ता उस रिपोर्ट की सामग्री के संबंध में पूरी तरह से अनजान है।

9. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का प्रत्युत्तर देते हुए, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करते समय प्रक्रिया की निष्पक्षता का पालन किया गया, विशेष रूप से तब जब नोटिस जारी करने और उत्तर प्रस्तुत करने के उपरांत आदेश पारित किया गया।

10. मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. निर्देशों के साथ-साथ विवादित आदेश में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि दिनांक 04.12.2025 को रिट याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे दिनांक 24.02.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; इस नोटिस की प्रति दिनांक 19.12.2025 को रिट याचिकाकर्ता को तामील कराई गई थी। दिनांक 05.02.2025 का उक्त नोटिस नीचे उद्धृत है-

"पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभ्यर्थी का नाम श्री भूपेन्द्र

पता - ग्राम-नगला परमल, पोस्ट - अकौला,

जनपद-आगरा, उ०प्र०-283102

आप रेडियो संवर्ग सीधी भर्ती 2022 के अन्तर्गत सहायक परि चालक पद के अभ्यर्थी हैं तथा आपका अनुक्रमांक 14129320081 तथा रजिस्ट्रेशन नंबर आरईजीए 0331256 है। आप इस भर्ती हेतु न्यू एरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन परीक्षा केंद्र पर दिनांक 07.02.2024 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस लिखित परीक्षा के परिणाम का परीक्षण कराया गया है, जिसमें परीक्षा अवधि में आपका प्रश्न पत्र हल करने संबंधी व्यवहार अत्यन्त संदिग्ध पाया गया तथा इसके क्रम में आपके संबंध में अग्रेतर विश्लेषण कराने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त संबंध में आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि आप दिनांक 24-02-25 को समय प्रातः 10:00 बजे उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, के 19, सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष / कथन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर आप अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त शैक्षिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र और अंकतालिकाएँ भी साथ लाएँ तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

3- यदि उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर आप समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त निर्णय ले लिया जाएगा।

पत्र संख्या - पीआरपीबी-बी (रेडियो संवर्ग) 15/2024

दिनांक - फरवरी 05.2025

अपर सचिव, भर्ती

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।।"

12. रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर निम्नानुसार है:-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"सेवा में,

दिनांक 21/12/2025

अध्यक्ष / अपर सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19- सी, विधान सभा मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संदर्भ: आवेदक का पक्ष / दिनांक 05/02/2025 के नोटिस का उत्तर।

महोदय,

आवेदक विनमतापूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है:

1. यह कि, दिनांक 05/02/2025 के नोटिस के अनुपालन में, आवेदक आपके समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर रहा है, ताकि ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत उसकी नियुक्ति के दावे पर विचार किया जा सके; क्योंकि दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन और दिनांक 26/03/2025 की अधिसूचना के माध्यम से जारी कट-ऑफ मेरिट के अनुसार, यूपी. पुलिस रेडियो केंद्र सहायक ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022 में, सहायक ऑपरेटर के पद हेतु ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत आवेदक ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं।
2. यह कि, इस अभ्यावेदन के माध्यम से आवेदक आपके समक्ष यह प्रार्थना करता है कि आप कृपया आवेदक को एक चयनित अभ्यर्थी मानते हुए, अधिसूचना दिनांक 26/03/2025 के तहत जारी कट-ऑफ मेरिट के अनुसरण में, उसे चयन के अगले चरण में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
3. इसके अतिरिक्त, आवेदक आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि आप दिनांक 26/03/2025 की अंतिम चयन सूची में ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत आवेदक का नाम जोड़ने की कृपा करें; क्योंकि दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन के अनुसरण में और दिनांक 26/03/2025 की अधिसूचना द्वारा जारी कट-ऑफ मेरिट के अनुसार, यूपी. पुलिस रेडियो केंद्र सहायक ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022 में, सहायक ऑपरेटर के पद हेतु ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत आवेदक ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं।
4. इसके अतिरिक्त, आवेदक आपसे यह भी विनम्र निवेदन करता है कि आप कृपया आवेदक को चयन के अगले चरण, अर्थात् चिकित्सा परीक्षण (चिकित्सा परीक्षण) में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें, और विज्ञापन दिनांक 06/01/2022 तथा अधिसूचना दिनांक 26/03/2025 के माध्यम से जारी कट-ऑफ मेरिट के अनुपालन में, आवेदक को ' यूपी. पुलिस रेडियो केंद्र सहायक ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022' के अंतर्गत 'सहायक ऑपरेटर' (सहायक ऑपरेटर) के पद हेतु अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार घोषित करें।
5. कि, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 में सहायक परिचालक पद के चयन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवार है, जो प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06/01/2022 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. कि, अभ्यर्थी की शिकायत यह है कि उसने प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06/01/2022 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 में सहायक परिचालक पद के चयन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया, और उसे लिखित परीक्षा में दिनांक 07/08/2024 को योग्य घोषित किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 10/02/2025 को दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) में वह योग्य पाया गया, तत्पश्चात दिनांक 08/03/2025 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में वह उत्तीर्ण हुआ। इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26/03/2025 को अंतिम मेरिट सूची जारी की गई, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत अंतिम कट-ऑफ मेरिट 363.28735 अंक निर्धारित की गई थी, जबकि अभ्यर्थी ने 370 अंक प्राप्त किए। तथापि, अभ्यर्थी का नाम अंतिम मेरिट सूची में पूरी तरह अवैध एवं मनमाने ढंग से शामिल नहीं किया गया।

7. कि, अभ्यर्थी पात्र उम्मीदवार है और उसने दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन की सभी शर्तें पूरी की हैं, तथा उसने प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06/01/2022 को जारी विज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 में सहायक परिचालक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया।

8. कि, इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अतिरिक्त सचिव (भर्ती)/परीक्षा नियंत्रक ने दिनांक 06/01/2022 को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सहायक परिचालक, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 के चयन हेतु विज्ञापन जारी किया।

9. कि, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मापदंडों को पूरा करता है, अतः उसे सहायक परिचालक पद हेतु चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया।

10. कि, उक्त विज्ञापन के माध्यम से कुल 1374 सहायक परिचालक (रेडियो विभाग) पदों के लिए दिनांक 06/01/2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

11. कि, विज्ञापन में पंजीकरण की तिथि दिनांक 06/01/2022 अंकित थी और पंजीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 28/02/2022 अंकित की गई थी। अभ्यर्थी ने समय पर आवश्यक औपचारिकताओं एवं शुल्क सहित आवेदन किया और उसका आवेदन संसाधित कर स्वीकार कर लिया गया।

12. कि, उक्त विज्ञापन में उम्मीदवारों की आयु के लिए शर्त यह निर्धारित की गई थी कि पुरुष उम्मीदवारों की आयु दिनांक 01/07/2022 को 18-22 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयु में

छूट नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. कि, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार, सहायक परिचालक पद के लिए भर्ती का स्रोत बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 90% निर्धारित किया गया है और पुरुष सहायक परिचालक पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं एवं 12वीं कक्षा है या भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समान योग्यता।
14. कि, सहायक परिचालक पद हेतु भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के नियम 14 एवं 15 के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
15. कि, उक्त नियमों के अनुपालन में दिनांक 06/01/2022 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें चयन की वही विधियाँ उल्लिखित हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के नियम 14 एवं 15 में वर्णित हैं।
16. कि, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के नियम 14 के अनुसार, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी वर्ष भर में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विभागाध्यक्ष को निर्धारित कर सूचित करेगा, तथा उसके पश्चात बोर्ड द्वारा पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की अलग-अलग सूचना प्रकाशित की जाएगी।
17. कि, रेडियो विभाग में सहायक परिचालक पद के लिए चयन एवं नियुक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के तहत संचालित होती है, जिसे बाद में संशोधित किया गया।
18. कि, रेडियो विभाग में सहायक परिचालक पदों की संख्या, जो उपरोक्त दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन में प्रकाशित की गई है, इस प्रकार है:

क्रमांक.	श्रेणी	कुल रिक्तियों की संख्या (सिपाही, C.P.)
1.	सामान्य	552
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	137
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	370
4.	अनुसूचित	288
5.	अनुसूचित जनजाति	27
कुल		1374

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. कि, सहायक परिचालक पदों के चयन की प्रक्रिया के अनुसार, लिखित परीक्षा का प्रावधान है, उसके पश्चात दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) एवं शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), तत्पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और इसके उपरांत अंतिम चयन सूची की घोषणा तथा इसके बाद चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन का प्रावधान है।

20. कि, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 में सहायक परिचालक पद के चयन हेतु उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार आरक्षण और आयु में छूट का मापदंड उक्त विज्ञापन की धारा-5 में निर्धारित किया गया है।

वर्टिकल आरक्षण

(i) ओबीसी 27% है,

(ii) एससी 21%

(iii) एसटी 2%

क्षैतिज आरक्षण

(i) होम गार्ड 5%,

(ii) स्वतंत्रता सेनानी 2%,

(iii) भूतपूर्व सैनिक 5%,

(iv) महिला कांस्टेबल (केवल सिविल पुलिस कांस्टेबल में) 20%।

21. कि, उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त होने के उपरांत उन्हें उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सत्यापित किया गया और उक्त सत्यापन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की आयु, पदानुसार पात्रता, फोटो अपलोडिंग/अस्वीकृत/स्वीकृत से संबंधित आपत्तियाँ आदि की जाँच शामिल रही, तथा इसका विवरण भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात "आवेदन की स्थिति देखें" विकल्प के तहत वेबसाइट पर पुनः जाकर अपने आवेदन की स्वीकृति सुनिश्चित करनी थी। उक्त निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए।

22. कि, आवेदन पत्र के आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा पूर्ण की गई और अभ्यर्थी के आवेदन पत्र का मूल्यांकन करने के पश्चात उसे चयन की आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया गया।

23. कि, इसके उपरांत ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 फरवरी 2024 को 16 शिफ्टों में आयोजित की गई।

24. कि, विज्ञापन की धारा 4.1 में उल्लेखित है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी।

25. कि, लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चार खंड शामिल थे, प्रत्येक खंड 100 अंकों का, जिनके विषय थे - सामान्य हिंदी, विज्ञान/सामान्य विज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता परीक्षण, मानसिक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

योग्यता परीक्षण/बौद्धिक परीक्षण/तार्किक अभिक्षमता परीक्षण। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का था और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं था।

26. कि, अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा चार विभिन्न विषयों में आयोजित की जाएगी, प्रत्येक विषय के 40 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 100 अंकों का होगा, अतः कुल 160 प्रश्न 400 अंकों के होंगे। आगे यह भी उल्लेखित किया गया कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी।

27. कि, विज्ञापन की धारा 4.1(ख) में यह प्रावधान है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

28. कि, दिनांक 07/08/2024 के अधिसूचना के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) में भाग लेने के लिए प्रत्येक श्रेणी में कट-ऑफ मेरिट जारी की गई। कुल रिक्तियों के मुकाबले तीन गुना, अर्थात् कुल 4,216 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) के अगले चरण में भाग लेने के लिए बुलाया गया।

29. कि, दिनांक 01/02/2025 को प्राधिकरण द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके माध्यम से दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं (डीवी/पीएसटी) की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

30. कि, इसके उपरांत दिनांक 05/02/2025 को अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया कि वह दिनांक 24/02/2025 को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने शैक्षिक एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

31. कि, इसके पश्चात अभ्यर्थी को सहायक परिचालक पद, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 के चयन हेतु दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) के लिए कॉल लेटर जारी किया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 10/02/2025 को रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद आगरा में दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और अभ्यर्थी ने डीवी/पीएसटी परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की।

32. कि, दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा (डीवी/पीएसटी) में उत्तीर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को दिनांक 08/03/2025 को 35वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया गया, जिसमें अभ्यर्थी सफल रहा।

33. कि, इसके उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दिनांक 26/03/2025 को अंतिम मेरिट सूची जारी की, जिसमें ओबीसी पुरुष श्रेणी के तहत अंतिम कट-ऑफ मेरिट 363.28735 अंक थी, जबकि अभ्यर्थी ने 370 अंक प्राप्त किए, तथापि अभ्यर्थी का नाम पूरी तरह अवैध एवं मनमाने ढंग से अंतिम मेरिट सूची में नहीं दर्शाया गया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

34. कि, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात प्राधिकरण ने सभी उम्मीदवारों की उत्तर कुंजी जारी की, जिसे अभ्यर्थी ने डाउनलोड किया, जिसमें 160 प्रश्नों में से अभ्यर्थी के 148 उत्तर सही पाए गए और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का था।

35. कि, अभ्यर्थी ने दिनांक 07/07/2025 एवं 15/07/2025 को प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि अभ्यर्थी को चयनित घोषित किया जाए और सहायक परिचालक पद, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के तहत सभी मानदंड और विज्ञापन दिनांक 06/01/2022 तथा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियम-2015 के प्रावधानों को भी पूरा किया है।

36. कि, अभ्यर्थी ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अन्तर्गत पूर्णतः पात्र उम्मीदवार हैं, और अभ्यर्थी ने नियमों एवं विज्ञापन में निर्दिष्ट सभी मापदंडों को पूर्ण किया है, अतः प्राधिकरण की कार्यवाही कानून की दृष्टि में स्थायी नहीं ठहरती।

37. कि, अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी में आते हैं और वह पूर्णतः पात्र उम्मीदवार हैं, अतः प्राधिकरण का कर्तव्य है कि अभ्यर्थी को चयनित घोषित किया जाए, और न्यायसंगत दृष्टिकोण में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी सहायक परिचालक पद, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 हेतु स्वीकार की जाए।

38. कि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, विशेषकर जब प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से कार्य किया और चयन प्रक्रिया में भेदभाव किया, अभ्यर्थी ने सहायक परिचालक पद, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो केंद्र सहायक परिचालक भर्ती-2022 हेतु अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु स्पष्ट रूप से आधार प्रस्तुत किया है।

39. कि, प्राधिकरण ने अभ्यर्थी को सहायक परिचालक पद, रेडियो विभाग में भर्ती/नियुक्ति के वैध अधिकार से अवैध तरीके से वंचित किया, न तो कोई तर्कसंगत कारण प्रस्तुत किया गया और न ही अभ्यर्थी ने कोई ऐसा अपराध किया, जिसके कारण उसे उक्त पद के लिए अस्वीकार किया गया हो। अतः प्राधिकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही अनावश्यक, अवैध और अयोग्य है।

40. कि, अभ्यर्थी पूर्णतः पात्र उम्मीदवार हैं और उन्होंने नियमों एवं विज्ञापन में निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा किया है, अतः प्राधिकरण की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है और प्राधिकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्णतः अवैध, मनमाना एवं कानून की दृष्टि में असंवैधानिक है।

41. कि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षा के सभी चरणों में, अर्थात् लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन/शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुआ, और प्राधिकरण ने केवल अपनी संतुष्टि के पश्चात ही अभ्यर्थी को सभी परीक्षा चरणों में उपस्थित होने की अनुमति दी, और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था।

42. कि, अभ्यर्थी का यह कहना है कि परीक्षा के सभी चरणों में उसकी पहचान की जाँच की गई, और लंबे समय बाद व्यक्त किए गए आभासी प्रतिनिधित्व (इम्पर्सनेशन) का आरोप न केवल अस्पष्ट और अवैध है, बल्कि प्रस्तुत साक्ष्यों पर प्रमाणित भी नहीं किया जा सका। अभ्यर्थी ने आगे कहा कि लिखित परीक्षा, डीवी/पीएसटी और पीईटी में बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया गया, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी की अंगुली का निशान लिया गया, परंतु रिकॉर्ड पर कोई रिपोर्ट/निष्कर्ष नहीं है कि अभ्यर्थी के अंगुली के निशान मेल नहीं खाते।

43. कि, याचिकाकर्ता ने अपने पहचान पत्र संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष परीक्षा के चारों चरणों में प्रस्तुत किए, और उनके पहचान संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न कभी उठाया नहीं गया। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राधिकरणों ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता ने सभी मापदंडों पर उत्तीर्ण किया। यह प्रमाणन याचिकाकर्ता की पहचान की जांच करने के पश्चात् जारी किया गया, जो स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों के संदर्भ में किया गया। यद्यपि किसी पर्यवेक्षक द्वारा उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित करने में त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, और न ही याचिकाकर्ता पर्यवेक्षक की चूक के आधार पर नियुक्ति का कोई अधिकार दावा कर सकते हैं, परंतु पर्यवेक्षक की ओर से ऐसी त्रुटि का अस्तित्व दिखाया जाना आवश्यक है। परीक्षा के चार चरणों में और प्रत्येक चरण में वही पर्यवेक्षक तैनात होने या सभी चरणों में वही त्रुटि होने की संभावना संदिग्ध होने के कारण पर्यवेक्षक की ओर से त्रुटि का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

44. कि, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय को रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के साथ देखा जाना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने अपना पहचान पत्र सभी परीक्षा चरणों में यूपीआरपीबी और उनके अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराया। यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि बोर्ड के सभी कर्मचारी/कर्मचारी याचिकाकर्ता की पहचान को सही ढंग से नहीं कर पाए, जबकि पहचान पत्र मौजूद था। यह पूर्वानुमान कि याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट पहचान पत्रों के संदर्भ में अपनी पहचान कराई थी, इसे हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता। तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं ने अंगुली के निशान और उनके नमूने अंगुली के निशान के साथ रखे, जिन्हें मिलाया भी नहीं गया, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

45. कि, प्राधिकरणों के लिए याचिकाकर्ता की पहचान अंगुली के निशान के संदर्भ में सत्यापित न करने का कोई कारण नहीं है, जो कि हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट की तुलना में अधिक मजबूत साक्ष्य है। विशेषज्ञ की राय की प्रकृति अन्यथा निर्णायक न होने के कारण, केवल उसी पर निर्भर होकर याचिकाकर्ता के अस्थायी चयन को रद्द नहीं किया जा सकता, अन्य सामग्रियों की अनदेखी करते हुए, विशेषकर जब आदेश स्वयं कलंकित स्वरूप में था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

46. अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि ऊपर बताए गए आवेदक की शिकायतों को देखते हुए, न्याय के हित में यह उचित होगा कि माननीय महोदय, आवेदक की नियुक्ति के संबंध में उसके दावे पर विचार करने की कृपा करें। यह दावा ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि आवेदक ने यूपी. पुलिस रेडियो केंद्र सहायक ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022 में, दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन तथा दिनांक 26/03/2025 की अधिसूचना द्वारा जारी कट-ऑफ मेरिट के अनुसार, सहायक ऑपरेटर के पद हेतु ओबीसी (पुरुष) श्रेणी में उच्च अंक प्राप्त किए हैं; अन्यथा, आवेदक को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।

प्रार्थना

अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक की ऊपर बताई गई शिकायतों को देखते हुए, न्याय के हित में यह उचित होगा कि माननीय महोदय, यूपी. पुलिस रेडियो केंद्र असिस्टेंट ऑपरेटर (एओ) भर्ती-2022 के अंतर्गत, दिनांक 06/01/2022 के विज्ञापन और दिनांक 26/03/2025 की अधिसूचना द्वारा जारी कट-ऑफ मेरिट के आधार पर, असिस्टेंट ऑपरेटर के पद के लिए ओबीसी (पुरुष) श्रेणी में आवेदक द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत, ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के तहत आवेदक की नियुक्ति संबंधी दावे पर विचार करने की कृपा करें अन्यथा, आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

आवेदक द्वारा आगे यह भी प्रार्थना की जाती है कि माननीय महोदय कृपया आवेदक को सहायक ऑपरेटर (एओ) के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें क्योंकि उसने ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के अंतर्गत पिछली कट-ऑफ मेरिट से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसे आवश्यक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए।

भवदीय,

भूपेन्द्र, ओबीसी (पुरुष) श्रेणी।

[पंजीकरण संख्या आरईजीए 0331256] [रोल नंबर 14129320081]

पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,

स्थायी निवासी ग्राम नगला परमल, पोस्ट अकोला,

पुलिस थाना कागरोल, जिला आगरा।

मोबाइल नंबर 7900443395 / 8445044033

13. दिनांक 08.01.2026 का विवादित आदेश निम्नानुसार है:-

"आदेश

रिट याचिका ए-संख्या: 17090/2025 भूपेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 04 अन्य

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.12.2025 का

अनुपालनात्मक अंश निम्नवत् है:

अस्वीकरण:-अनुवादेत निणय वादो के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. बार में प्रस्तुत दलीलों को और समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका निस्तारित की जाती है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित हो, जो कि 18.12.2025 से अधिकतम देरी किए बिना उसे 24.02.2025, 25.02.2025 और 26.02.2025 की नोटिस प्रदान करेगा। रिट याचिकाकर्ता अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा और प्रतिवादी संख्या 2 उसके उत्तर पर दो महीने की अवधि में अंतिम निर्णय लेगा।

2-माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में, याचिकाकर्ता भूपेन्द्र को भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 19.12.2025 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस उपलब्ध करायी गयी है, जिसके प्रति उत्तर में याचिकाकर्ता भूपेन्द्र द्वारा अपना जवाब दिनांक 21.12.2025 को भर्ती बोर्ड में उपलब्ध कराया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में सहायक परिचालक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने एवं प्रशिक्षण पर भेजे जाने का अनुरोध किया गया है।

3-माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में, भर्ती बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर अभिलेखानुसार विचार किए जाने पर वस्तुस्थिति निम्नवत् है:

(क) याचिकाकर्ता भूपेन्द्र, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती -2022 में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत एक अभ्यर्थी है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया गया है, जिसका आवेदन पत्र संख्या आर ईजीए 0331256 एवं अनुक्रमांक-14129320081 है।

(ख) याचिकाकर्ता भूपेन्द्र द्वारा प्रश्नगत भर्ती की चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए सफल रहा है।

(ग) चयन परिणाम तैयार करते समय भर्ती बोर्ड को प्रचलित विभिन्न माध्यमों से प्रश्नगत भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके संदर्भ में भर्ती बोर्ड द्वारा प्रश्नगत भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अनुचित साधनों के संभावित प्रयोग करने के संबंध में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्था आई.आई.टी., कानपुर से तकनीकी परीक्षण/डाटा एनालिसिस करायी गयी है। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा प्रश्नगत भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी 2,02,191 (दो लाख दो हजार एक सौ इक्यानबे)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के संबंध में लगभग 4,01,07,484 डाटा रिकॉर्ड्स का एनालिसिस किया गया।

विशेषज्ञ संस्था कानपुर द्वारा डाटा एनालिसिस के पश्चात प्रस्तुत आख्या निम्नवत् है:

यूपीपीआरपीबी और आई.आई.टी. कानपुर ने 17 सितंबर 2024 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लॉग्स का विश्लेषण करना है, ताकि अनुचित साधनों के उपयोग, प्रतियोगिता, हैकिंग, या परीक्षा की शुचिता के लिए अन्य समान खतरों से उत्पन्न होने वाली डेटा विसंगतियों के साक्ष्यों की पहचान और उनका स्वरूप निर्धारण किया जा सके; साथ ही, किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार या उम्मीदवारों के किसी समूह/वर्ग के संबंध में प्राप्त किसी विशिष्ट शिकायत का विश्लेषण भी किया जा सके।

यूपीपीआरपीबी ने अपने वेंडर के एक डेटा लिंक के ज़रिए असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा के सभी उम्मीदवारों के लिए टाइम-स्टैम्पड एक्शन डेटा उपलब्ध कराया है। यूपीपीआरपीबी का अनुरोध था कि परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों के डेटा का विश्लेषण किया जाए और किसी भी विसंगति की पहचान की जाए।

इस विश्लेषण को करने के लिए, परीक्षा में शामिल हुए सभी 202191 उम्मीदवारों के डेटा पर विचार किया गया, जिसमें 4,01,07,484 डेटा रिकॉर्ड शामिल थे। यह विश्लेषण मुख्य रूप से उन 4216 उम्मीदवारों पर केंद्रित है, जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा में इतने ज़्यादा अंक प्राप्त किए कि उनका चयन हो सके। हमने परीक्षा के दौरान उनके कार्यों का विश्लेषण किया ताकि अनुचित साधनों के उपयोग के किसी भी सबूत की तलाश की जा सके..." (पृष्ठ-1, पैरा-3)

"हमारे विश्लेषण में हमारी मूल धारणा यह है कि उम्मीदवारों को आसान प्रश्नों की तुलना में कठिन प्रश्नों में ज़्यादा गलतियाँ करनी चाहिए, आसान प्रश्नों की तुलना में कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा समय बिताना चाहिए, और परीक्षा देते समय वे किस केंद्र में बैठे हैं, इस आधार पर उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने में ज़्यादा आसानी नहीं होनी चाहिए।" (पृष्ठ-3, पैरा-1.1)

"हम आगे यह भी मानते हैं कि प्रश्न की कठिनाई को अनुभवजन्य रूप से मापा जा सकता है, जो सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए प्राप्त सही उत्तरों के अनुपात पर निर्भर करता है। यह वर्तमान विश्लेषण सभी उम्मीदवारों के समूह के आधार पर प्रश्न की कठिनाई को मापता है।" (पृष्ठ-3, पैरा-1.1)

विश्लेषण 1: सही प्रतिक्रियाओं के लिए ढलान (स्लोप) विश्लेषण

सामान्य छात्र, जो स्वयंपर प्रयास कर प्रश्न हल करने का प्रयास करता है, कठिन प्रश्नों को हल करने में सरल प्रश्नों की तुलना में अधिक समय लेता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ वह अनुमान (गेसिंग) कर रहा हो। अतः, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न हल करने में लगाए गए समय को प्रश्न की कठिनाई के स्तर के विरुद्ध ग्राफ में प्रस्तुत किया जाए, तो इस ग्राफ में सकारात्मक ढलान (पॉज़िटिव स्लोप) देखी जानी अपेक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस ग्राफ में सकारात्मक ढलान नहीं दिखाते, वे कठिन प्रश्नों के अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर केवल अनुमान से दे रहे हैं, या किसी स्रोत से सहायता प्राप्त कर रहे हो सकते हैं। यदि हम केवल उन अभ्यर्थियों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्होंने परीक्षा में अत्यधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हम केवल अनुमान लगाने वाले अभ्यर्थियों की संभावना को बाहर रख सकते हैं और मुख्यतः उन अभ्यर्थियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो संभावित रूप से बाहरी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

उपरोक्त हिस्टोग्राम दर्शाता है कि चयनित 4,216 अभ्यर्थियों में से अधिकांश इस विश्लेषण में सकारात्मक ढलान दिखाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमारी मूल धारणा अधिकांशतः सही है, अर्थात् अभ्यर्थी कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देने में सरल प्रश्नों की तुलना में अधिक

समय लेते हैं। इस अवलोकन से आश्वस्त होकर, हम उन सभी अभ्यर्थियों की पहचान करते हैं

जिनमें असाधारण रूप से नकारात्मक ढलान (नेगेटिव स्लोप) है।

असाधारण नकारात्मक ढलान वाले 156 अभ्यर्थियों को आगे के विश्लेषण हेतु चुना गया। सूची 1 को एओ-परिशिष्ट के रूप में पृथक रूप से प्रदान किया गया है।

विश्लेषण 2 - प्रश्न की कठिनाई के आधार पर प्रदर्शन:

"किसी भी परीक्षा में, जैसे-जैसे प्रश्न कठिन होते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा गलत उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस सम्बन्ध का पालन नहीं करते, उनके प्रति फॉरेंसिक दृष्टि से रुचि हो सकती है। इस विश्लेषण के लिए, प्रश्न की कठिनाई के आधार पर और प्रत्येक प्रश्न पर व्यतीत समय को नियंत्रित करते हुए एक प्रतिगमन (रेग्रेशन) विश्लेषण किया गया। सभी प्रतिभागियों के लिए नकारात्मक गुणांक (नेगेटिव कोएफिशियंट) अपेक्षित है, जिससे यह पुष्टि होती है कि कठिन प्रश्नों का उत्तर देते समय उनके सही उत्तर देने की संभावना घट जाती है।"

"इस विश्लेषण को करने हेतु, हमने प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने की संभावना के लिए एक लॉजिट मॉडल फिट किया, जिसमें दो स्थिर प्रभाव (फिक्स्ड इफेक्ट) शामिल हैं - प्रश्न की कठिनाई और प्रश्न पर कुल व्यतीत समय - और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए यादृच्छिक इंटरसेप्ट (रैंडम इंटरसेप्ट) शामिल किया गया।"

"जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, हम अपेक्षा करते हैं कि अधिकांश अभ्यर्थियों के कठिनाई गुणांक नकारात्मक होंगे, जो यह दर्शाता है कि प्रश्न कठिनाई बढ़ने पर सही उत्तर देने की संभावना घटती है। जो अभ्यर्थी प्रश्न कठिनाई से अप्रभावित रहते हैं, वे फॉरेंसिक दृष्टि से रुचिकर माने जाते हैं, विशेषकर यदि उन्होंने कुल मिलाकर बहुत अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हों।"

"लॉजिट मॉडल में प्रश्न कठिनाई के गुणांक का हिस्टोग्राम दर्शाता है कि सभी अभ्यर्थियों के कठिनाई गुणांक नकारात्मक हैं, जो यह दिखाता है कि सभी ने औसतन कठिन प्रश्नों में अधिक त्रुटियाँ कीं। तथापि, इस वितरण में लगभग -0.5 के सीमा मान से दाहिनी पूँछ में अपवाद (आउटलायर्स) दिखाई देते हैं, जिसे दृश्य निरीक्षण और इंटरक्वैरटाइल रेंज आधारित आउटलायर पहचान गणना द्वारा पुष्टि की गई

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, जो यह इंगित करता है कि कुछ अभ्यर्थी प्रश्न कठिनाई से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहे। इन अभ्यर्थियों पर आगे विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।"

"ये 104 अभ्यर्थी, जिनके कठिनाई गुणांक असाधारण रूप से उच्च हैं, आगे के विश्लेषण हेतु चुने गए। सूची को एओ-परिशिष्ट के रूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।" (पृष्ठ-13, पैरा-22)

निष्कर्ष:-

"हम उम्मीदवारों की एक संयुक्त सूची तैयार करते हैं, जिन्हें आगे की पुष्टि करने वाले विश्लेषणों के लिए फॉरेंसिक महत्व के घटते क्रम में रैंक किया गया है। ऐसा करने के लिए, हम उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो दो सूचियों में पाए जाते हैं: सूची 1 जो विश्लेषण 1 से प्राप्त हुई है, और सूची 2 जो विश्लेषण 2 से प्राप्त हुई है।"

"यह संयुक्त सूची 239 उम्मीदवारों को प्रस्तुत करती है, जिन्हें फॉरेंसिक महत्व के उच्च से निम्न क्रम में रैंक किया गया है। इनमें से, पहले 21 उम्मीदवार दोनों सूचियों में शामिल हैं और इसलिए वे सबसे अधिक फॉरेंसिक महत्व के हैं।"

उम्मीदवार	केंद्र	रुचि
108990438	165	उच्च
160934047	101	उच्च
191339942	126	उच्च
194964207	196	उच्च
203753741	128	उच्च (high)
204313137	119	उच्च
226032370	122	उच्च
252723130	193	उच्च
258680698	178	उच्च

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उम्मीदवार	केंद्र	रुचि
282097276	127	उच्च
308194233	178	उच्च
348629767	196	उच्च
383045410	128	उच्च
460761317	163	उच्च
487076044	193	उच्च
494343347	129	उच्च
501961209	126	उच्च
533754672	137	उच्च)
602862545	174	उच्च
780634612	196	उच्च
860915517	196	उच्च)

(घ) वि शेषज्ञ संस्था आई0आई0टी0, कानपुर से प्राप्त वि शेषज्ञ आख्या परी क्षणगती बोर्ड ड स्टर पर उच्चस्तरी य समिति गठित कर मुहैया गया है। यह समिति भी विशेषज्ञ संस्था आई0आई0टी0 कानपुर की आख्या से सहमत होकर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इस अभ्य आर्थी का प्रश्नपत्र हल करने सम्बन्धी व्यवहार अनुचित है तथा इसके द्वारा परीक्षा अवधि में अनुचित साधन का प्रयोग किया गया है। इसके आलोक में भर्ती बोर्ड आरडी दवारा भर्ती की वि ज्ञपटि में दिये गए प्रावधानों का उपयोग करते हुये याची को चयन प्रक्रिया से बाहर करते हुये

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्तिम चयन पर नाम दिनानकित 26.03.2025 को घोषित किया गया है तथा चयन सूची अग्रेतर कार् वाही हेतु विभागाध्यक्ष / पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रेषित कर दी गयी है। इसी के साथ भर्ती बोर्ड आरडी का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है। भर्ती बोर्ड आरडी स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

4 - प्रकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का सिविल संख्या 335/2024, वंशि का यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 पर भी विचार किया गया, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् है-

परिणामों का डेटा विश्लेषण लंबे समय से यह पता लगाने की एक स्वीकृत विधि रही है कि कोई परीक्षा किस हद तक दूषित हुई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने बिहार के एक विशेष केंद्र पर आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को रद्द करने के निर्णय की वैधता पर विचार किया; यह निर्णय छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण लिया गया था। जिस केंद्र पर कदाचार होने की आशंका थी, वहाँ सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत लगभग 80% था। इसके बिल्कुल विपरीत, अन्य केंद्रों पर सफल उम्मीदवारों का औसत प्रतिशत 50% था। अदालत ने तेरह विषयों के लिए विषयवार सफलता के प्रतिशत पर भी विचार किया। फैसले में दिए गए अंकों के विवरण से यह पता चलता है कि उम्मीदवारों ने सभी विषयों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर अदालत ने यह माना कि "ये आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां करते हैं"। इस निष्कर्ष के बावजूद, अदालत ने कुछ उत्तर-पुस्तिकाएँ मंगवाई और उनकी जाँच की। इसका नतीजा यह था कि सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत लगभग 80% था। इसके ठीक उलट, दूसरे सेंटर्स पर सफल उम्मीदवारों का औसत प्रतिशत 50% था। अदालत ने तेरह विषयों के लिए विषयवार सफलता के प्रतिशत पर भी विचार किया। फैसले में दिए गए अंकों के विवरण से यह पता चलता है कि उम्मीदवारों ने सभी विषयों

में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर अदालत ने यह माना कि "ये आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां करते हैं"। इस निष्कर्ष के बावजूद, अदालत ने कुछ उत्तर-पुस्तिकाएँ मंगवाई और उनकी जाँच की। उसका यह निष्कर्ष (जो कि उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित था) कि परीक्षा दूषित थी, उन उत्तर-पुस्तिकाओं से भी पुष्ट हो गया; इन पुस्तिकाओं से पता चला कि "उत्तरों में ज़बरदस्त समानता" थी। गलत कामों का पता लगाने के प्रयास में डेटा विश्लेषण एक उपयोगी साधन है। (पृष्ठ 40, अनुच्छेद 72)

5-- उ०प्र० पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती-2022 सम्बन्धी परीक्षा की विज्ञप्ति दिनांक 06.01.2022 को प्रकाशित की गयी है। विज्ञप्ति के प्रस्तर-10 (3)

में यह प्रावधान है कि "किसी अनाचार, नकल करने या अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में सम्मिलित कराने, परीक्षा सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन करने, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयन से प्रतिवारित करने का अधिकार बोर्ड को होगा"।

6- याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा असामान्य रूप से अत्यन्त अल्प समय में किस प्रकार प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल किया गया है। उसने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसका बायोमैट्रिक परीक्षण किया गया था जिसमें वह सफल रहा था परन्तु इससे उसके द्वारा असामान्य रूप से अत्यन्त अल्प समय में प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पढ़ने, समझने एवं हल करने के सम्बन्ध में कोई कथन स्पष्टीकरण में नहीं किया गया है।

7- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-17090/2025 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2025 के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन पर उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त भर्ती बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि याची द्वारा प्रश्नगत भर्ती की लिखित परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है एवं उसे अन्तिम चयन परिणाम से बाहर किये जाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय में परिवर्तन करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार याची शूपेन्द्र (आवेदन पत्र संख्या- आरईजीए 0331256 अनुक्रमांक 14129320081) पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम नगला परमाल, पोस्ट-अकोला, थाना कगरौल जनपद आगरा का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए एतद्वारा निस्तारण आदेश पारित किये जाते हैं।

8- यह आदेश अध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)

अपर सचिव, भर्ती/पुलिस उपमहानिरीक्षक

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि उक्त आदेश के पैरा संख्या 6 में केवल इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस के विरुद्ध प्रस्तुत स्पष्टीकरण/उत्तर संतोषजनक नहीं है। न्यायालय के मत में, केवल इतना कथन पर्याप्त नहीं है क्योंकि विधिक रूप से कुछ और अपेक्षित था जब कोई प्राधिकारी 'कारण बताओ नोटिस' जारी होने और उसके प्रत्युत्तर में उत्तर प्रस्तुत किए जाने से उद्भूत कार्यवाही का निर्णय करता है तो उस उत्तर में उठाए गए तर्कों पर विचार किया जाना अनिवार्य है। यह एक अलग प्रश्न है कि वे तर्क ठोस हैं या नहीं परंतु उन पर विचार किया जाना अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि दिनांक 05.02.2025 का नोटिस उन आधारों को इंगित नहीं करता है जिनके कारण रिट याचिकाकर्ता की दावेदारी को निरस्त किया जा रहा है विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि उसकी दावेदारी को बेदखल करने के लिए प्रतिकूल तथ्यों को सम्मिलित किया जा रहा है। चूंकि यह कृत्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, अतः आक्षेपित आदेश को बनाए रखा जाना संभव नहीं है।

15. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है।

(a) दूसरे प्रतिवादी, अपर सचिव (भर्ती)/अध्यक्ष, उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ.प्र., लखनऊ द्वारा दिनांक 08.01.2026 को पारित आदेश को कारण बताओ नोटिस माना जाएगा; (बी) चूंकि उक्त आदेश को प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है, अतः यह माना जाएगा कि रिट याचिकाकर्ता प्रश्नगत आदेश से भली-भांति अवगत है; (सी) यदि रिट याचिकाकर्ता कुछ दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग करता है, तो रिट याचिकाकर्ता 27.03.2026 तक दूसरे प्रतिवादी को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत करेगा; उक्त अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, दस्तावेज 10.04.2026 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद, 10 दिनों की अवधि के पश्चात् एक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिस तिथि को रिट याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाएगी और तत्पश्चात्, अगले दो महीनों की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा; (डी) ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ता उन लाभों का हकदार होगा; क्योंकि ये लाभ आज पारित आदेश के अनुसरण में भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

16. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

17. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और उन्हें परिशिष्ट ' ए ' के रूप में अंकित किया जाता है तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा 19.02.2025 को (05.02.2025 के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साथ) दाखिल किए गए दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और उसे परिशिष्ट ' बी के रूप में अंकित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।